

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Writ Petition No. 108/2020

Ritesh Tiwari S/o Shri Roopkishore Sharma

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Shailendra Singh for Mr. Shivraj Chauhan
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Punia, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

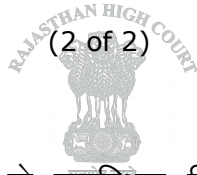
Order

01/09/2025

याची-परिवादी की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय विशिष्ट अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (पीसीपीएनडीटी एक्ट प्रकरण), जयपुर महानगर के समक्ष धारा 28 (1)(बी) पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत कर विपक्षीगण के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त परिवाद धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सरकार, जयपुर को जांच के लिए भिजवाया जाने का आदेश दिया गया। याचिकाकार ने उक्त आदेश के अनुसरण में किसी प्रकार की कोई आगामी कार्यवाही नहीं होने के संबंध में अंकन करते हुए सही अनुसंधान संबंधी निर्देश दिए जाने हेतु यह याचिका प्रस्तुत की है।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार दिनांक 13.01.2016 के आदेश की पालना में विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा मामले में जांच की जाकर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी है और मामला बहस के स्तर पर न्यायालय में लंबित है और याचिकाकार द्वारा भी न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत की हुई है।



याचिकाकार की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधिवक्ता श्री शिवराज चौहान आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हैं। अतः बहस के लिए समय चाहते हैं।

प्रकरण दिनांक 04.09.2025 को सूचीबद्ध हो।

(SHUBHA MEHTA),J